कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मेरठ।

पत्र सं0–भ–14 / सीएफओ–पैट्रोलियम भवन–19 / 138

दिनांक: मार्च 9 ,2019

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (नगर)

मेरठ

विषयः मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, आबू का मकबरा केसरगंज मेरठ के टेरीटेरी मैनेजर (रिटेल) द्वारा मेरठ बागपत रोड पर एन0एच0 58 के जंक्शन के 03 किमी0 अन्दर खसरा सं0 586 एव 589 (पार्ट ऑफ) ग्राम मलियाना तहसील सदर जनपद मेरठ पर न्यू रिटेल आउटलेट संचालित किये जाने हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या 190 / आब0सहा0 / अनापत्ति प्रमाण–पत्र / 2018–19 / मेरठ, दिनांक: 25.02.2018

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के अनुसार प्रस्तावित स्थल का अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन मेरठ से कराया गया तो उनकी निरीक्षण आख्या / संस्तुति दिनांक 04.03.2019 के द्वारा परीक्षण करने पर आख्या निम्नवत् हैः–

1. प्रस्तावित स्थलः– मैसर्स भारत पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड आबू का मकबरा केसरगंज मेरठ के टेरीटेरी मैनेजर (रिटेल) द्वारा मेरठ बागपत रोड पर एन0एच0 58 के जंक्शन के 03 किमी0 अन्दर खसरा सं0 586 एवं 589 (पार्ट ऑफ) ग्राम मलियाना तहसील सदर जनपद मेरठ पर न्यू रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु 18.00 मीटर से अधिक चौडाई के मार्ग पर प्रस्तावित है जहॉ तक अग्नि शमन के सभी वाहन आसानी से पहुंचकर अग्निशमन कार्य कर सकते है।
2. चौहद्दी– अग्रभग–22.86 मीटर रोड पृष्ठभाग–कृषि योग्य भूमि । पार्श्व भग–ए–अन्य प्रोपर्टी । पार्श्व–बी– अन्य प्रोपर्टी ।
3. प्रस्तावित पैट्रोल फिलिंग / सी0एन0जी0 फिलिंग स्टेशन की ऊँचाई–06.00 मीटर ।
4. प्रस्तावित स्थल पर 03 अण्डर ग्राउण्ड टैंक, 02 अदद एमएस क्रमशः 15–20के0एल0 क्षमता तथा 01अद्द, एचएसडी 45 के0एल0 क्षमता के स्थापित किये जायेगें।
5. प्रश्नगत स्थल का कुल प्लाट एरिया 1538.00 वर्गमीटर प्रस्तावित है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली

1. फायर एक्सटिंग्यूशर ए.बी.सी. टाईप क्षमता–09 किग्रा0–06 अदद स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।
2. फायर एक्सटिंग्यूशर सी.ओ.टू. टाईप क्षमता–4.5 किग्रा0–02 अदद स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।
3. फोम ट्रोली क्षमता–45 किग्रा0–01 अद्द स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।
4. फायर बैकेट्स क्षमता–09 लीटर–10 अद्द स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।
5. फायर सर्विस के टेलीफोन नम्बर का बोर्ड–100, 101, 0121–2643600, 9454418747
6. धुम्रपान निषेध बोर्ड ।
7. बालू / रेत का प्र्याप्त मात्रा में ढेर मय बेलचा सहित स्थापित कराया जाना वॉछनीय है।
8. पैट्रोल फिलिंग स्टेशन में प्रवेश करने एवं बाहर निकलने की चौडाई 11.50 मीटर है।
9. क्षेत्रीय मार्ग एवं पैट्रोल फिलिंग स्टेशन एवं सीएनजी स्टेशन मध्य बफर स्ट्रिप का प्राविधान किया जायेगा।
10. स्टोरेज परिसर में 01 अदद बी0ए0सैट, 01 अदद पी0वी0सी0 सूट, 01 अदद लीकेज कन्ट्रोल किट, 01 अदद पैट्रोलियम प्रोडेक्ट कलीनअप कैमीकल विद स्प्रे नॉजिल प्रोक्समिटी सूट 01 अदद, नॉन स्पार्किंग टूल किट 01 अदद, हैण्ड ग्लब्स 04 जोडा, वाटर जैल ब्लेकिंट 01 अदद का रखा जाना अनिवार्य होगा।
11. स्टोरेज एरिया हमेशा साफ–सुथरा तथा सूखी घास, बेस्ट मैटेरियल, तेलीय कपडा, कूडा–कडकट आदि से सदैव मुक्त होना चाहिये।

—2

24/10/2019

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)

12. स्टोरेज एरिया के आस–पास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, एसिड या आक्सीकारक पदार्थ,नैकिट लाईट,फ्यूजेज,माचिस अथवा अन्य ऐसे पदार्थ जो विस्फोटक या आग उत्पन्न करने वाली श्रेणी में आते हों का रखाव पूर्णता वर्जित होगा।
13. बाउण्ड्री वाल न्यूनतम 1.8 मीटर ऊंची रखी जाये तथा सभी विद्युत चालित यन्त्रो जैसे जक्शन बाक्स,मोटर स्टार्ट,स्वीचें, लाईट फिटिंग्स इत्यादि फ्लेमप्रूफ होने चाहिये।
14. परिसर के निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी प्रकार के रिपेयर अथवा मेन्टीनेन्स हेतु ओ0आई0एस0डी0–105 के प्राविधानो के अनुसार लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
15. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आईएस–1646 के मानको के अनुरूप तथा विद्युत वायरिंग में एमसीबी/ ईएलसीबी का प्राविधान करते हुये सभी लाईटें फ्लेमप्रूफ रखी जाये।
16. स्थल पर लाईटिंग कन्डक्टर्स का प्राविधान किया जाये।
17. स्टेचर, रस्सा, फर्स्ट एड बाक्स रखे जाये।
18. मानचित्र में दर्शायी गये नोट के बिन्दु संख्या 01 से 21 तक के दिशा–निर्देशो एंव पैट्रोलियम विभाग द्वारा लागू हो दिशा निर्देशो का अनुपालन किया जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्राविधान जो पैट्रोलियम रूल्स 2002,के मानको में उल्लिखित वांछित नियमो एवं उक्त न्यू रिटेल आउटलेट का संचालन करने से पूर्व सुझायी गयी अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान कराकर उनका अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धन की होगी, तभी उक्त परिसर का प्रयोग सुरक्षित माना जायेगा।

उपरोक्त प्रतिबन्धो के अधीन उक्त स्थल पर न्यू रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु अग्निशमन प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

संलग्नक: मानचित्र

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
जनपद मेरठ।

प्रतिलिपि:–

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अग्निशमन अधिकारी पुलिस लाईन,मेरठ को निरीक्षण आख्या दिनांक 04.03.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मैसर्स भारत पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आबू का मकबरा केसरगंज मेरठ के टेरीटेरी मैनेजर (रिटेल) द्वारा मेरठ बागपत रोड पर एन0एच0 58 के जंक्शन के 03 किमी0 अन्दर खसरा सं0 586 एवं 589 (पार्ट ऑफ) ग्राम मलियाना तहसील सदर जनपद मेरठ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।

२५|१०|२०१९

कुमार अविनाश
प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
आबू का मकबरा, केसर गंज
मेरठ–250002 (उ0प्र0)